

उत्तराखण्ड शासन

वित्त विभाग

सं० /XXVII(8)/वाणि० कर (वैट) / 2008

दिनांक: देहरादून :: 15 जुलाई, 2008

अधिसूचना

चूंकि राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि लोक हित में ऐसा करना समीचीन है; अतएव, अब, उत्तराखण्ड (उत्तरांचल मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2007 (अधिनियम संख्या 27 वर्ष 2005) की धारा 4 की उपधारा (4) संपटित उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (अधिनियम सं० 1 वर्ष 1904) (उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त) की धारा 21 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से उत्तराखण्ड (उत्तरांचल मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2007 की अनुसूची-II(ख) के क्रमांक 89 की वर्तमान प्रविष्टि में निम्नलिखित संशोधन करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

संशोधन

अनुसूची-II(ख) के क्रमांक 89 की वर्तमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रख दी जायेगी-

"89. रेल के वैगन, इंजन, डिब्बे और उनके पुर्जे, रेलवे ट्रैक ऐसेम्बली एच आकार के गूड्स रबड़ सोल प्लेट्स, रेलवे स्विचेस, क्रॉसिंग्स स्विच ऐक्सपेंशन ज्वाइन्ट्स, स्टील टर्नआउट स्लीपर्स, फिश प्लेट, स्टील क्लिप्स ट्रैक बोल्ट्स तथा नट्स, इलैस्टिक रेल क्लिप्स तथा रेलवे सिग्नल, सिग्नलिंग के उपकरण तथा सहायक सामान तथा उनके पुर्जे।"

(आलोक कुमार जैन)
प्रमुख सचिव, वित्त।

सं० 347/XXVII(8)/वाणिज्य कर(वैट)/2008 तददिनांक।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1-आयुक्त कर, उत्तराखण्ड, देहरादून को इस आशय से, कि कृपया अपने स्तर से सम्बन्धित अधिकारियों, कर अधिवक्ताओं व करदाताओं को अधिसूचना से अवगत कराने का कष्ट करें।
- 2-निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री उत्तराखण्ड, रुड़की को अधिसूचना की हिन्दी/अंग्रेजी प्रतियाँ इस अनुरोध सहित, कि इसे असाधारण गजट में प्रकाशित करते हुये 250-250 प्रतियाँ वित्त विभाग में अविलम्ब उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
- 3-गार्ड फाईल हेतु।

आज्ञा से,
(सी०एस०सेनवाल)
अपर सचिव, वित्त।

(15)

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Notification No. 347/XXVII(8)/Vanijya kar(VAT)/ 2008 dated 16 July, 2008 for general information.

Government of Uttarakhand
VITTA VIBHAG
NO. 347/XXVII(8)/Vanijya kar(VAT)/2008
Dehradun :: Dated: : 16 July, 2008

Notification

WHEREAS, the State Government is satisfied that it is expedient so to do in public interest;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 4 of The Uttarakhand (Uttaranchal Value Added Tax Act, 2005) Adaptation and Modification Order, 2007 (Act no. 27 of 2005) read with section 21 of the Uttar Pradesh General Clauses Act, 1904 (U.P. Act No. 1 of 1904) (as applicable in the State of Uttarakhand), the Governor is pleased to allow, with effect from the date of publication of this Notification in the Gazette, to make the following amendment in the existing entry at serial no. 89 of Schedule II(B) of The Uttarakhand (Uttaranchal Value Added Tax Act, 2005) Adaptation and Modification Order, 2007.

Amendment

For the existing entry at serial No.89 of Schedule II(B), the following entry shall be substituted-

"89. Railway wagons, engines, coaches and parts thereof, Railway Track assembly H-Shaped Grooved Rubber Sole Plates, Railway switches, crossings switch expansion joints, steel turnout sleepers, fish plate, steel clips track bolts and nuts, elastic rail clips and railway signal, signalling equipments and accessories and parts thereof."

(ALOK KUMAR JAIN)

PRINCIPAL SECRETARY, FINANCE.